1980 की योजना में निर्धारित अपेक्षा में केवल इतनी छूट दी गई कि जहां दावे के समर्थन में सरकारी रिकार्ड उपलब्ध था, वहां 5 वर्ष की जेल यातना सहने वाले किसी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र स्वीकार कर लिया गया।

(ख) से (घ), 1-8-1980 को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के उदार बनाये जाने और नाम बदल कर स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना रखने के बाद हमें जेल से भाग निकलने वाले स्वतंत्रता सैनानियों समेत स्वतंत्रता सैनानियों की विभिन्न श्रेणियों से एक लाख 70 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। फरार स्वतंत्रता सैनानियों के बारे में अलग रिकार्ड (राज्य –वार) नहीं रखे गये हैं। ऐसे फरार स्वतंत्रता सैनानियों के बारे में भी कोई अलग सूचना उपलब्ध नहीं है जिन्हें 1-8-80 से पहले पेंशन स्वीकृत की गई है। लेकिन 1-8-1980 के बाद ऐसे 243 स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन स्वीकृत की गई है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भूमिगत स्वतंत्रता सेनानियों की राज्यवार संख्या, जिन्हें स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत की गई है।

1.	अंडमान व निकोबार	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	38
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
4.	असम	6
5.	बिहार	98
6.	चंडीगढ़	शून्य
7.	दिल्ली	शून्य
8.	गोवा	10
9.	गुजरात	3
10.	हरियाणा	5
11.	हिमाचल प्रदेश	20
12.	जम्मू व कश्मीर	13
13.	केरल	2
14.	कर्नाटक	3
15.	मध्य प्रदेश	2
16.	महाराष्ट्र	1
17.	मणिपुर	शून्य
18.	मेघालय	शून्य
19.	मिजोरम	शून्य
20.	नागालैंड	शून्य
21.	उड़ीसा	1
22.	पांडिचेरी	शून्य
23.	पंजाब	3
24.	तमिलनाडु	35
25.	त्रिपुरा	शून्य
26.	उत्तर प्रदेश	शून्य
27.	पश्चिम बंगाल	3
	जोड़	243

Demands of Central Government Canteen Employees Association

2929. SHRI VIJAY KUMAR YADAV: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation from the Central Government Canteen Employees Association regarding their demands in the first week of January, 1983;

(b) if so, what are their demands; and

(c) the steps taken to examine their demands and take a decision thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) A re-

presentation from the Central Government Canteen Employees Association regarding their demands was received by the Government in the 2nd Week of January, 1983.

(b) The demand of the Association is that the canteen employees may be treated at par with the Central Government servants in all respects and that all the benefits e.g. D.A., ADA, HRA, CCA etc. applicable to the Central Government servants should be given to them because of their being declared as holders of civil posts.

(c) The canteen employees have been declared only as holders of civil posts in connection with the affairs of the Union with effect from 1st October, 1979. They are not Government servants. Their service conditions are regulated by a separate set of general statutory rules. Consistant with the nature of their duties, pay, dearness relief, medical allowance and washing allowance are admissible to them but there is no parity with Government servants.

Import of Technology to manufacture electronic PABX

2930. SHRI B. V. DESAI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Department of Electronics has decided to go in for import of technology for manufacture of electronic PABX overruling the objections of the Communications Ministry;

(b) whether the foreign companies in the race are of U. K., France, U.S.A. and Japan;

(c) whether the Ministry of Communications was opposed to importing technology for manufacture of electronics PABX; and

(d) what were their main objections?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS (SHRI M. S. SANJEEVI RAO): (a) No. Sir. There has been no objection from the Ministry of Communications to the import of technology for manufacture of electronic PABX.

(b) The foreign companies whose offers are under consideration are from U.K., France, Belgium and Japan.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

खादी ग्रामोद्योग आयोग में पदोन्नति

2931. श्री निहाल सिंह : क्या उद्योग मंत्री खादी ग्रामोद्योग में विशेष वेतन के बारे में 21 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2013 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग में चतुर्थ श्रेणी में अथवा उससे ऊपर के ग्रेडों में कर्मचारियों की पदोन्नति उनके कार्य निष्पादन तथा शैक्षिक अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए दी जारी है ;

(ख) क्या कर्मचारियों के वेतनमान, पदोन्नतियां और नियुक्तियां गृह मंत्रालय के नियमों के अनुसार की जाती हैं अथवा आयोग के अपने नियम हैं; और

(ग) यदि नियुक्तियां और पदोन्नतियां गृह मंत्रालय के नियमों के अनुसार की जाती हैं तो गैर मैट्रिक कर्मचारीयों की चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति किस आधार पर की गई हैं तथा मैट्रिक से स्नातक तक की अर्हता वाले ऐसे कितने स्थायी कर्मचारी हैं जिनकी पिछले तीन वर्षों के दौरान पदोन्नति नही की गई हैं

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) मंत्रालयीय संवर्ग के मामलें अवर श्रेणी लिपिक का पद श्रेणी-3 का सबसे छोटा पद होता हैं जो श्रेणी 4 के निचले पद अर्थात चपरासी के पद से पदोन्नति की लाईन